न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

ुत.(6ए)संख्या 10 / 23

तारीख रज्जू—12 / 09 / 23

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक मुनेश कुमार मीना — प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सैनी टिक्कड भण्डार ,उदेईमोड, गंगापुर सिटी
2. श्री महेशचन्द्र माली पुत्र श्री रामश्री निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

—: निर्णय :—

दिनांक 28/05/2024

प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 20 / 1 / 2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 17 / 01 / 2023 को जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्देश की पालना में ज्ञानचंद ,प्रवर्तन अधिकारी एवं मुनेश कुमार मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग किये जाने की कार्यवाही हेतु मैसर्स सैनी टिक्कड भण्डार उदेईमोड गंगापुर सिटी पर घरेलू गैस सलेण्डर को व्यवसायिक कार्यो मे अवैध उपयोग लेते हुये पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये तीन गैस सिलेन्डर को राजसात **(Confiscate)** किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 17.01.2023 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्देश की पालना में ज्ञानचंद प्रवर्तन अधिकारी एवं मुनेश कुमार मीना, प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा घरेलू रसोई गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किये जाने की कार्यवाही हेतु मैसर्स सैनी टिक्कड भण्डार उदेईमोड गंगापुर सिटी पर पहुँचे। मौके पर श्री महेशचन्द्र माली पुत्र श्री रामश्री निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी उपस्थित मिले तथा श्री महेशचन्द्र माली की उपस्थिती में रेस्टोरेन्ट परिसर की तलाशी लेने पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस के 3 सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम के मिले जिनसे रबर के पाईप व कॉमर्शियल रेगुलेटर से जोडकर एक भट्टी पर टिक्कड रोटी व दूसरे सिलेण्डर से आलू की सब्जी बनाकर व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग लिया जाना पाया गया। मौके पर कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग लिये जाने के कारण एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 की शर्त संख्या 3(1)(क)(ख)(ग)(घ) एवं 7 (ग) की अवहेलना के आलोक में उक्त 03 सिलेण्डर मय 26.1 किलोग्राम एलपीजी गैस मौके पर जप्त किया जाकर मैसर्स जे0के0 एन्टरप्राईजेज ,गंगापुर सिटी के प्रतिनिधि श्री विशनपाल पुत्र श्री रघुनाथ मीना को सुपुर्दगी के वास्ते सुरक्षित रखने एवं माननीय न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। जप्तशुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुंसार हैः—

क. स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का विजन कि. ग्रा.	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार	शुद्व गैस
1	आईओसीएल	9163865	15.7	25.1	9.4
2	आईओसी	4811565	15.6	29.0	13.4
3	आईओसी	6381655	15.7	19.0	3.3
	कुल गैस भार				26.4

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर ... सत्यमेव जयते

28/5/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

साथ ही पैरोकार रसद ने प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 5 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत निवेदन किया ।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने जबाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवदेन किया कि प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा गलत रूप से प्रार्थी के खिलाफ घेरलू गैर सैलण्डरों का व्यावसायिक कार्यो में दुरूपयोग करने का तथ्य गलत अंकित किया है। प्रार्थी केवल कोयले पर ही रोटी टिक्कडों को बनाता व सेकता है। प्रार्थी की दुकान के पास ही गैस एजेन्सी है। प्रार्थी के पास अपने ही परिवार के चार गैस कनेक्शन है पहला श्यामलता देवी पत्नी मुकेश जो प्रार्थी की भाभी लगती है, दूसरा कनेक्शन प्रियंका सैनी पत्नी नाहरसिंह यह प्रार्थी के छोटे भाई की बहु लगती है एवं तीसरा कनेक्शन प्रेमबाई पत्नी रामश्री माली जो प्रार्थी की माँ के नाम कनेक्शन हैं व चौथा स्वयं प्रार्थी की पत्नी रूकमणी देवी पत्नी महेश सैनी के नाम है। उपरोक्त कनेक्शन पर सैलेण्डरों को भरवाने के लिये प्रार्थी ने अपने कब्जे में रख रखे थे किसी कम गैस बच रखी थी किसी में ज्यादा गैस बच रखी थी। अचानक प्रर्वतन अधिकारी द्वारा आकर तीन सलेण्डरों को जप्त कर लिया तथा जबरदस्ती से फोटों खीचे और धमकी देकर सैलेण्डरों में भट्टी लगवायी प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी के तीन सैलेण्डरों को वापस दिलवाया जावे। वर्तमान में तीनों सैलेण्डर को जेके एन्टरप्राईजेज गैस एजेन्सी को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सुपुर्द कर रखे है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने उक्त तीनों गैस सैलेण्डर वापस दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सैनी टिक्कड भण्डार से प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2023 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 3 गैस सलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा कहे गये कथन से होती है। वकील अप्रार्थी के अनुसार उक्त तीनों गैस सैलेण्डरों को भरवाने के लिए अप्रार्थी ने अपने कबजे में रख रखे थे। उक्त तीन गैस सलेण्डर मे 9.4 किलोग्राम, 13.4 किलोग्राम, 3.3 किलोग्राम शुद्व गैस वजन होने से उक्त तीनों गैस सलेण्डर ना तो पूर्ण भरे हुए थे ओर ना ही पूर्ण रूप से खाली थे, इसलिए उक्त गैस सिलेण्डर को भरवाकर/भरवाने के लिए दुकान पर रखे जाने बाबत किये गये कथन की पुष्टि नही होती है, साथ ही पत्रावली में संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट, सपूर्दीनामा स्वयं अप्रार्थी सं0 2 के हस्ताक्षर अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 3 गैस सिलेन्डर को राजसात **(Confiscate)**किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 3 गैस सलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2024.....को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/5/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-गंगापुर सिटी (राज0)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)